लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1257
09 फरवरी, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्राचीन वस्त्र उद्योग का संरक्षण

1257. श्री ज्ञानेश्वर पाटिल:
श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्राचीन वस्त्र उद्योग के परिरक्षण और संरक्षण के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;
(ख) प्राचीन वस्त्र उद्योग के संरक्षण और संवर्धन के लिए विशेष परियोजना, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है;
(ग) मध्य प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर विशेषकर खरगौन बरवानी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में महेश्वरी साड़ी में प्रचलित कपड़े बनाने की प्राचीन कला को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या प्राचीन वस्त्र उद्योग में लगे शिल्पकारों के पुनर्वास के लिए कोई विशेष योजना चलाई जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क) से (घ): देश में हथकरघा वस्त्र बहुत पुराने समय से बुने जा रहे हैं और देश के कई हिस्सों में बड़ी आबादी के लिए आजीविका के स्रोत हैं। वस्त्र मंत्रालय हथकरघा क्षेत्र के संरक्षण, संवर्धन और प्रचार के लिए प्रतिबद्ध है और तदनुसार मध्य प्रदेश राज्य सहित देश भर में इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाओं को लागू करता है:

1. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम;
2. कच्चे माल की आपूर्ति योजना;

उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत कच्चे माल, करघों और सहायक उपकरणों की खरीद, डिजाइन नवाचार, उत्पाद विविधीकरण, अवसंरचना विकास, घरेलू और विदेशी बाजारों में हथकरघा उत्पादों की मार्केटिंग, रियायती दरों पर ऋण प्राप्त करने आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

भौगोलिक संकेतक (जीआई) अधिनियम, 1999 के अंतर्गत उत्पादों को पंजीकृत करके पारंपरिक हथकरघा उत्पादों को भी बढ़ावा दिया जाता है। अब तक, जीआई अधिनियम के तहत 72 हथकरघा उत्पाद और 06 उत्पाद लोगो पंजीकृत हैं, जिनमें मध्य प्रदेश राज्य से महेश्वरी साड़ी और कपड़े तथा चंदेरी साड़ी शामिल हैं।

मध्य प्रदेश के खरगौन जिले में दो हथकरघा कलस्टरों को वित्तीय सहायता के लिए स्वीकृत दी गई है।

******